

कार्यालय

प्रविष्टि, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या- प्राविष्टि/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

संखनऽ/ दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय सत्यः

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पारमैसी वाडमिवाल जीव दुग्धिया, गढ़े दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विषयसमूह स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश में सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संस्थागत संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश-क्षमता वृद्धि सहित अन्य सत्रों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

* सम्बद्धता समिति की बैठक में विधे गयी निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० संखनऽ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उपायों अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1672-PREMRAGHU INSTITUTE OF PHARMACY, HATHRAS

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	एड.साई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	50	50

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एड.साई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवर्ती 1982, सेनेटर विनियमवर्ती-2018 तथा अन्य निमित्त नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क (दैनिकी वृत्तीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 20150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक परमैसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 40000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पारमैसी पाठ्यक्रम के

Prem Raghu
Signature

Prem Raghu Institute of Pharmacy
Aya Road, Hathras

अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्रछात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रछात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनद्वारा प्रेषित होने, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। किस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु वेतन का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की सर्वोच्चतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्थ को (30वें प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों पर अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के विस्तार सह जागी की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनद्वारा के अनुमान निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आर0सी0टी0ई0पी0सी0आइ0 से अग्रेजी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिसूचियों/अधिनियमों/शासनद्वारा निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये विधियों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ दिल्लीया इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी सी आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में अक्षम रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तराखण्ड संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई सादर दाखल किया जाता है तथा दाखल सादर के संबंध में जो न्यायपालना द्वारा मिला प्रकार की प्रतिभूति संबंधी आदेश निर्यत किया जाता है तो समस्त प्रतिभूति संबंधित संस्था को करना होगा।
- ✓ दिल्लीया इन फार्मसी पाठ्यक्रम संपन्नित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आइ0 से अनुमोदन प्राप्त कर, परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश संस्था सत्र पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने बैकवाउट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, संचालन, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवृत्त शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिष्कार हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगुलर रीजनों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक दायित्वा मुनिविद्यत करनी होगी।
- ✓ संस्था यह मुनिविद्यत ही है कि संस्था में प्रस्तावित संघानित पाठ्यक्रम को पालन करने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अजिलेख, भूमि-अंकन, पञ्जीयर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम से संवाहन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था

(Signature)

Dean Reghu Institute of Pharmacy
Agra Road, Agra

कार्यालय

प्रविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सखनडा

संख्या:- प्राविण/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

सखनडा: दिनांक: 30/08/2022

आज्ञातम मान:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु दिल्ली/उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सखनडा से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संघानित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सभी पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सखनडा द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उससे अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1673-PREMRAGHU INSTITUTE OF PHARMACY, HATHRAS

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत सारसूचियों का

(Signature)
Principal
Prem Raghu Institute of Pharmacy
Agra Road, Hathras

अनुपाजन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹ 30150,00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹ 45000,00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹ 22000,00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि राब 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अनादित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिशिपर्स/अभिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, 3080, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 3080 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3080 द्वारा किये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का एचआईएसी/टीएई/एपी/सी/आई/ओ से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई कदम दायर किया जाता है तथा टापर काट के संबंध में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को कानी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासनक द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित कन्वेंशन में भाग लेने के पूर्व एचआईएसी/टीएई/एपी/सी/आई/ओ से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद मार्गदर्शकों को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कन्वेंशन के सम्मम में प्रवेश परीक्षा के अभाव परासीध प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आदेशों/नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, लाइसन्स, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, अभावक शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-व्यवस्था हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था का सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संगठित पाठ्यक्रमों को चलाने के हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-आवरण, पानी-पूर, आवरण इत्यादि का यदि संस्था


 P. Prasad
 P. Prasad Institute of Pharmacy
 Agra Road, Hathras

द्वारा किसी अन्य घटक/अंग के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को उसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

- ✓ संस्था के अधिक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भावन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा एण्डआईसीटी/पीसीआई/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

(प्रफ०आर० खान)

सचिव

प्रासंग- प्राध्याप/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, PREMRAJHU INSTITUTE OF PHARMACY, HATHRAS

(प्रफ०आर० खान)

सचिव

Principal
Prem Rajhu Institute of Pharmacy
Agra Road, Hathras